

क्र. सं.	
----------	--

नामांकन फॉर्म

(पीएनबी विनियमों के विनियम 65 का संदर्भ लें)

सेवा में,

पंजाब नैशनल बैंक
प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली

प्रिय महोदय,

निदेशक का चुनाव

ईजीएम नोटिस दिनांक 01.09.2026 के संदर्भ में, मैं, पंजाब नैशनल बैंक का एक शेयरधारक जिसके पास शुक्रवार, 28 अगस्त, 2026 अर्थात चुनाव में भाग लेने के लिए निर्दिष्ट / कट-ऑफ तिथि को रु.2 प्रत्येक (पूर्णतया प्रदत्त) के इक्विटी शेयर हैं एतद्वारा श्री/श्रीमती..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... निवासी.....

..... को शुक्रवार, 25 सितंबर, 2026 को होने वाली शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (i) में यथा प्रदत्त बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने हेतु पंजाब नैशनल बैंक के निदेशक के चुनाव लड़ने के लिए एतद्वारा नामित करता/करती हूँ।

नाम:

हस्ताक्षर:

धारित शेयरों की संख्या:

पंजीकृत फोलियो संख्या:

(यदि अभौतिकीकृत नहीं है)

डीपी आईडी नंबर और क्लाइंट आईडी नंबर:

(यदि अभौतिकीकृत हो)

स्थान:

दिनांक :

टिप्पणियाँ:

- 1) यदि नामांकन एक कॉरपोरेट निकाय द्वारा किया जाता है, तो नामांकन फॉर्म के साथ निदेशक मंडल द्वारा उस बैठक के अध्यक्ष के हस्ताक्षर के अंतर्गत पारित प्रस्ताव की प्रमाणित सत्य प्रति होनी चाहिए, जिसमें यह पारित किया गया था।
- 2) उम्मीदवारी को नामांकित करने वाले शेयरधारकों के हस्ताक्षर बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर के साथ मेल खाने चाहिए।
- 3) यदि उपर्युक्त के किसी भी कॉलम को खाली छोड़ दिया जाता है या विवरण त्रुटिपूर्ण पाए जाते हैं, तो नामांकन अस्वीकार किया जा सकता है।